द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1993/2013

श्रीमती ममता वर्मा, — अपीलार्थी
बी–1, नेहरू नगर, करूण खत्री का मकान,
सामुदायिक भवन के पास,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, — उत्तरवादी कं 01
कार्यालय नगर पालिका भाटापारा,
जिला बलौदाबाजार, (छ0ग0)

प्रथम अपीलीय अधिकारी, — उत्तरवादी कं 02
कार्यालय नगर पालिका भाटापारा,
जिला बलौदाबाजार, (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 05/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्रीमती ममता वर्मा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी कं0 01, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, (छ0ग0) तथा उत्तरवादी कं0 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में द्वितीय अपील आवेदन में यह लिखा है कि आवेदिका के पति श्री दिनेश कुमार वर्मा भाटापारा नगर पालिका में वर्ष 1998 से 2004 तक सेनेटरी इंसपेक्टर के पद पर कार्यरत थे। नगर पालिका में उन्हें पांचवे वेतनमान की राशि नहीं दी गई। भविष्य निधि की राशि भी नहीं दी। इस संबंध में उन्होंने सूचना/जानकारी हेतु अधिनियम के अंतर्गत आवेदन भाटापारा नगर पालिक के जनसूचना अधिकारी को दिया था पंरतु जानकारी नहीं मिली। उन्होंने जानकारी दिलाने एवं अधूरी जानकारी के लिए अधिनियम के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने, क्षतिपूर्ति दिलाने का अनुरोध किया। साथ ही एरियर्स दिलाने का अनुरोध किया।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में निम्नानुसार सूचना/जानकारी आवेदन दिनांक 21.3.12 (जिसे आगे प्रथम आवेदन कहा जायेगा)के द्वारा मांगी गई थी :–

''(1) स्व0 दिनेश वर्मा की भाटापारा में कार्य अवधि के दौरान काटी गई भविष्य निधि की राशि की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ देने का कष्ट करें।

(2) आवेदिका के पति स्व0 दिनेश कु0 वर्मा द्वारा यदि कोई अग्रिम राशि ली गई हो तो उसका समायोजन किस मद की राशि से किया गया उक्त समयोजन की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) स्व0 दिनेश वर्मा को अग्रिम किस मद से किस विभाग द्वारा दिया गया। उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।''

तथा आवेदन दिनांक 22.1.13 (जिसे आगे द्वितीय आवेदन कहा जायेगा) द्वारा निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी गई थी :–

''आवेदिका द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पति स्व0 श्री दिनेश कुमार वर्मा जो कि भाटापारा में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। कार्य अवधि के दौरान उन्हें पांचवा वेतनमान नहीं दिया गया था। शासन द्वारा स्वीकृत एवं आडिट होने के बाद भी उन्हें उस वेतन का एरियर्स नहीं दिया गया। जो कि उनके स्वर्गवास के बाद भी अप्राप्त है। कृपया पांचवे वेतनमान के एरियर्स प्रदान करने का कष्ट करें यदि मेरे पति स्व0 दिनेश वर्मा ने कोई अग्रिम राशि ली है तो उसकी संपूर्ण प्रमाणित जानकारी देने की कृपा करें।''

इस प्रकार द्वितीय अपील प्रकरण में दो आवेदनों को संलग्न कर अपील की गई है। अपीलार्थी के अनुसार प्रथम अपील दिनांक 9.4.13 प्राप्ति दिनांक 12.4.13 में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपील केवल ऊपर वर्णित आवेदन दिनांक 22.1.13 अर्थात् द्वितीय आवेदन के लिए ही की गई मानी जायेगी। क्योंकि प्रथम अपील आवेदन में लिये गये अग्रिम की जानकारी का उल्लेख है व पांचवे वेतनमान के एरियर्स दिलाने का हवाला है जो आवेदन दिनांक 22.1.13 अर्थात् द्वितीय आवेदन में मांगे गये थे। परंतु यह प्रथम अपील समयबाधित थी। आवेदन दिनांक 22.1.13 के बाद 30 दिन की समय सूचना देने के लिए था। फिर प्रथम अपील का समय 30 दिन था। जबकि प्रथम अपील 12.4.13 को अर्थात् इस निर्धारित 60 दिनों के बाद की गई। अतः इस द्वितीय अपील को इसी प्रथम अपील तथा द्वितीय आवेदन के संबंध में ही मान्य किया जा रहा है।

प्रकरण में जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भाटापारा को नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। जवाब में लिखा है कि प्रथम आवेदन प्राप्ति के बाद कार्यालय के पत्र क्रं0 178 दिनांक 11.4.12 द्वारा भविष्य निधि के संबंध में 27 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को भेजी गई थी। फिर द्वितीय आवेदन के संदर्भ में पत्र क्रमांक 190 दिनांक 11.5.12 द्वारा श्री दिनेश कुमार द्वार विभिन्न तिथियों में लिये गये अग्रिम की जानकारी अपीलार्थी को भेजी गई। जवाब के साथ इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपियां तथा भेजी गई जानकारी की प्रतिलिपि भी संलग्न है। दोनों में जानकारी निःशुल्क भेजी गई है। इस प्रकार प्रथम आवेदन दिनांक 21.3.12 की जानकारी समयावधि में अपीलार्थी को भेजी गई थी। (हालांकि यह द्वितीय अपील इस आवेदन दिनांक 22.1.13 के संबंध में नहीं है)। द्वितीय आवेदन दिनांक 22.1.13 की जानकारी निर्धारित 30 दिन की अवधि के बाद भेजी गई है। परंतु अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधानों के अनुसार विलंब से दिये जाने के कारण निःशुल्क भेजी गई है।

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय आवेदन दिनांक 22.1.13 जिसमें श्री दिनेश कुमार वर्मा द्वारा लिये गये अग्रिमों की जानकारी मांगी गई थी, के सबंध में सुनी गई। प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया।

दिनांक 29.5.14 को उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने बताया कि पत्र दिनांक 2.4.14 द्वारा अपीलार्थी को पुनः जानकारी भेजी गई है। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उन्हें जानकारी पूर्व में भी उपलब्ध कराई गई है। लिये गये अग्रिम का विवरण भी दिया गया है। परंतु संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दी गई है। अतः निर्देशित किया गया कि उत्तरवादी अपीलार्थी को अभिलेखों का अवलोकन कराकर वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपियां निःशुल्क उपलब्ध करावें।

उत्तरवादी को विलंब का कारण दर्शाने हेतु भी कहा गया। दिनांक 21.8.14 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहीं। उत्तरवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 13.8.14 की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की। जिसमें श्री दिनेश कुमार वर्मा द्वारा लिये गये अग्रिम, उनसे की गई वसूली आदि का विवरण है साथ ही संबंधित अभिलेखों की प्रतिलिपियां भी अपीलार्थी को भेजी गई है। जिनसे ज्ञात होता है कि पांचवे वेतनमान तथा भविष्य निधि की देय राशि का समायोजन के बाद भी श्री वर्मा से वसूली हेतु राशि शेष बचती है। चूंकि अपीलार्थी पिछली तारीख में उपस्थित थी और बाद में अनुपस्थित रहीं। अर्थात् उन्हें वांछित जानकारी इस पत्र दिनांक 4.8.14 के माध्यम से मिल चुकी है। क्योंकि इन पत्रों को डाक से भेजने की रसीद भी प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जिस आवेदन के संबंध में यह द्वितीय अपील है उसमें प्रथम अपील ही समयबाधित थी। प्रथम अपील में भी विलंब क्षमा करने के लिए निवेदन नहीं किया गया है। अतः उस पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। इसलिए प्रकरण में द्वितीय अपील का आधार भी नहीं बनता। इसलिए द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है। वैसे इस द्वितीय अपील के दौरान वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त